

ऑडि लिना कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 34/15

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकाारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्री गंगानगर।

बनान
सं० चौधरी दूध मण्डार, प्रो. प्रदीप कुमार पुत्र हरबंस दूध विकला वीपीओ दून 18
आदर्श नगर, श्रीगंगानगर

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

दिनांक : 15.03.2016



सक्षेप में प्रकरण के सारगर्भित एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकाारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06-06-12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकाारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएएए/नॉटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28-5-12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकाारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18-8-11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बतौर गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकाारी दिनांक 24.04.2015 का 11:30 पी.एम. पर वास्तु चैकिंग में चौधरी दूध मण्डार पर प्रो. प्रदीप कुमार पुत्र हरबंस दूध विकला का काम सं० 5 ए पर नॉटिस देकर बला दिया था कि नमूना वास्तु जांच लिया गया है, जिसकी पढ समझ कर सही मानकर प्रदीप कुमार ने हस्ताक्षर किये। काम सं० 5 की एक प्रति प्रदीप कुमार को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद श्रृंखला का दूध का वार साफ सूखी व खाली डिशिया में बराबर बराबर डाल कर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं० 5-19 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वयं ने व विकला एवं गवाहन नै हस्ताक्षर किये और इनकी प्रत्येक शीशी पर लिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कानाज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकाारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर श्रृंखला दिनांक 5-19 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलार्द्ध में गोंद से लिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बाँध कर वार-वार जाहद खील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर जपनीतसिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि वेपर स्लीप एवं वेपर दोनों पर आवें। इन वारों खील शीशीयां पर नियमानुसार गवाह चिकित्सा एवं पकज कुमार के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने किये और इन वारों खील शीशीयां को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मीक पर फट रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् काम सं० 6 की साल प्रतियां तैयार की गई और प्रत्येक पर खील नमूना अंकित किया गया। जांच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

ऑडि लिना कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)



आतिथिक आधिकारी एवं
 राज्य निर्णायक अधिकारी (प्रशा.)
 (कर्ण सिंह गाँवपाल)

15/3/16

सूनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

रूप में 10,000/- (अधर रूपय दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दंडी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त फलस्वरूप एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 से लिया गया न्याय के दंड का समतल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है।

याहिए ए.पी. जहाँकि जांच अनुसार न्याय के दंड में 7.66% पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त इसी प्रकार बिन्दु संख्या 02 में वर्णितानुसार Milk solid not fat की न्यूनतम 8.50% होनी न्यूनतम 3.50% होनी याहिए ए.पी. जहाँकि जांच अनुसार न्याय के दंड में 4.6% पाया गया है, अवलोकन से पाया गया जांच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk solid not fat की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के उपधारा 2 (II) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

खिलाफ खारिज सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की दिनांक 07.05.2015 द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के न्याय के दंड का समतल के-519 जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/657/एक्ट/2015/429 राज प्रेशेकर ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त जपमीनसिंह से लिया गया किया कि उसके प्रकरण का फैसला कर दिया जावे।

अभियुक्त द्वारा जवाब देना नहीं किया गया। अभियुक्त ने उपस्थित होकर निवेदन के अन्तर्गत न्याय निर्णय आवेदन दिनांक 03.12.2015 को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक - की पालना में अभियुक्त के विरुद्ध एक एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 अधिनियम आतिथिक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक जिसके अनुसार खारिज नमूना के-519 न्याय का दंड सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/657/एक्ट/2015/429 दिनांक 07.05.2015 को प्राप्त हुई, आधिकारी के पास जमा करा दिया। इसके पश्चात खारिज विवेचक, राजस्थान, जयपुर की आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर आतिथिक आधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्टा 0 में सील बंद कर एवं खारिज नमूना के चतुर्थ भाग को फाम नं 0 6 की एक प्रति के साथ एक के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फाम नं 0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त की गई। खारिज नमूना के-519 प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विवेचक एवं खारिज विवेचक, पास जांच हेतु भिजवाई, जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त की गई और फाम नं. 6 की द्वितीय फाम नं 0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विवेचक, राजस्थान, जयपुर के खारिज सुरक्षा आधिकारी द्वारा खारिज नमूना सं 0 क-519 की एक सील पैकेट की

